कार्यालय– जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर

क्रमांक –स्टोर / 2019 / 					दिनांक – 19/12/19

निविदा सूचना संख्या – 01 / 2019–20

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधुपर के निर्देशानुसार इस न्यायक्षेत्र के अधीन नवसृजित वशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण न्यायालय, जैसलमेर के लिए प्रतिष्ठित ब्रान्ड के कम्प्यूटर प्रिन्टर, यूपीएस (अनुमानित लागत 176000 / –रूपये) एवं फोटोकॉपियर (अनुमानित लागत 74,000 / –रूपये) हेतु अधिकृत निर्माताओं / डिलरों / विक्रेताओं से मोहरबन्द लिफाफे में सीमित निविदाए निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र मय विवरण कार्यालय समय में स्टोर कीपर जिला न्यायालय, जैसलमेर से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त किये जा सकते हैं।

क.सं.	नाम आईटम मय विवरण	मात्रा
1	**Desktop Computer With :** Make / Model : HP, Type : Intel i5/i3 regular Desktop, Category : Business Segment, Processor: Intel i5/i3 with latest generation equivalent or above, Frequency : 3.0 or above, Motherboard : Intel original Motherboard, RAM : min 8gb or above, Hard disk : 1TB or above, Architecture : 64 Bit, Screen Size : 18 - 19 inch TFT LED Monitor (HD) with Anti Glare Display, Extra : inbuilt stereo sound speaker Ethernet controller, wireless IEEE 802.11 b/g/n, Graphic Card, USB Ports 4*2.0, 2*3.0, MIC in port, speaker out port, HDMI port with USB Port security lock, Driver : vendor to provide drivers for UBUNTU LINUX and Windows OS., Warranty : 03-05 years on-site compressive warranty support for all accessories., Keyboard / mouse : Multimedia keyboard mouse, speaker 2.1	03
2	**Printer with one extra cartridge** : Make HP, Compatible for A4 and Legal size paper 1200 dpi or above, upto 20ppm, low power consumption, 03 - 05 year on-site warranty	02
3	**Multi functional printer with one extra cartridge** : MF printer (print, scan, fax, copy), upto 20ppm, flatbed screen for A4 and Legal Size size, Network port Ethernet, USB Port, A and Legal Size paper compatible for print and scan / copy with 03 - 05 year on-site warranty.	01
4	**UPS** : 1KVA UPS with minimum 1 hour power backup with 03 - 05 year on-site warranty.	03
5	**Photocopier :-** minimum A3 paper support, network support, 03 - 05 year on-site warranty.	01

धरोहर राशि लागत की 2 प्रतिशत होगी। निविदा प्रपत्र दिनांक 06.01.2020 सांय 05:00 पी.एम. तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। निविदाएं दिनांक 07.01.2020, 02:00 पी.एम. तक जमा करवाई जा सकती है। प्राप्त निविदाएं उसी दिन 04.30 पीएम पर निविदा दाताओं के समक्ष इस हेतु गठित समिति द्वारा खोली जायेगी। सशर्त निविदाएं स्वीकार्य नहीं होगी निविदा प्रपत्र एवं शर्ते वबसाईटhttp://SPPP.rajasthan.gov.in तथा जिला न्यायालय की वबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/jaisalmer पर भी देखी जा सकती हैं। विस्तृत विशिष्टियां व शर्ते कार्यालय में भी देखी जा सकती है।

–Sd–
अध्यक्ष कय समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय,
जैसलमेर

क्रमांक–स्टोर / 2019 / 68 					दिनांक – 19/12/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा) जिला न्यायालय, जैसलमेर
2. नोटिस बोर्ड जिला एवं सेशन न्यायालय जैसलमेर।
3. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय जैसलमेर वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. कार्यालय प्रति।

अध्यक्ष कय समिति
जिला एवं सेशन न्यायालय,
जैसलमेर

कार्यालय– जिला एवं सेशन न्यायालय, जैसलमेर

निविदा की शर्तें

नोट :– निविदा दाताओं के इन शर्तों को सावधनीपूर्वक पढना चाहिए तथा निविदा भेजते समय इसकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहिए। इन शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। इस निविदा के क्रम में किये जाने वाले क्रय पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान लोक उपपन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के प्रावधान प्रभावी होंगें। उक्त सामग्री की आपूर्ति के संबंध में दर प्रस्तुत करते समय राजस्थान लोक उपापन में पाददर्शिता नियम 2013 के नियम 46 के अनुसार दर प्रस्तुत करते समय सामग्री का तकनीकी विवरण लिखा जावे जिसके आधार पर दर और किस्म में तुलना की जा सके।

1. निविदा दाताओं को निविदा प्रस्ताव, निविदा फार्म में दिए गए निर्देशों के अनुसार संबोधन तथा मोहरबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना चाहिए।

2. आदेशित सामग्री की मात्रा में कमी अथवा वृद्धि के संबंध में समस्त अधिकार क्रय समिति, जिला एवं सेशन न्यायालय जैसलमेर के पास सुरक्षित होगें।

3. निविदा में वर्णित प्रत्येक आईटम की एकल देरें ही मान्य होगीं तथा एक से अधिक दरें देने पर संबंधित आईटम की दर अस्वीकार्य होगी।

4. निविदा प्रस्तुत दरों में जीएसटी, एक्साईज एवं अन्य समस्त कर एवं समस्त प्रकार के प्रभार सम्मिलित होगें।

5. निविदा प्रपत्र स्याही से या टंकन से भरा जाएगा। पेंसिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. दरें नियत स्थान पर अंकों एवं शब्दों दोनों में लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियां एवं उपरी लेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी आवश्यक हो तो एवे स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों में राजस्थान/केन्द्रीय बिक्री कर पृथक रूप से दिखाया जाना अनिवार्य है।

7. निविदा दाता द्वारा प्रस्तुत दरों में अंको एवं शब्दों मे वर्णित दरों में अंतर नही होना चाहिए। अंतर होने की स्थिति में जो भी दर कम होगी उस पर विचार किया जाएगा।

8. निविदा दाता द्वारा सामग्रीयों के रंगीन कैटलॉग/फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करने होगें।

9. माल की आपूर्ति/फिक्सिंग जिला न्यायालय, जैसलमेर में ली जाएगी।

10. आपूर्तिकर्ता अपनी संविदा को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उपभाडे (सब–लैट) पर नहीं देगा।

11. सप्लाई की गई वस्तुएं निविदा में निर्धारित विनिर्देश, स्पेसीफिकेशन के पूर्णतया अनुरूप होगें, जिसका निरीक्षण विभाग द्वारा गठित समिति द्वारा सामग्री प्राप्त होने के समय किया जाएगा।

12. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की प्रयोगशाला/तकनीकी जांच आवश्यक है तो आपूर्ति के साथ जांच प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। आपूर्ति के पश्चात कोई गुणवत्ता संबंधी विपरीत स्थिति पाई जाती है तो समस्त जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता फर्म की होगी।

13. सफल निविदा दाता द्वारा सप्लाई की गई सामग्री का विभाग किसी भी समय सामग्री की निविदा स्पेसीफिकेशन अनुसार सरकारी प्रयोगशाला से जांच कराने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि सामग्री निविदा के स्पेसीफिकेशन के अनुसार पाई गई तो जांच परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जायेगे अन्यथा उक्त प्रभार निविदा दाता को वहन करने होंगे।

14. निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं निर्धारित माप दण्ड के अनुसार नही पाई जायेगी उन्हें रद्द कर दिया जायेगा। निविदा दाता द्वारा ऐसी वस्तुओं/सामग्री को केता अधिकारी द्वारा नियत समय (एक माह) के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदलना होगा।

15. निविदा अनुबंध की शर्तो का उल्लघंन करने पर बिना नोटिस दिये अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। अनुबंध की शर्तो के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद को निर्णित करने के संबंध में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर का निर्णय अंतिम होगा। जो निविदा दाता को मान्य होगा।

16. निविदा दाता उचित पैकिंग/फिक्सिग करने के लिए उत्तरदायी होगा। किसी प्रकार की हानि, क्षति, कमी होने के मामले में निविदा दाता उन सामग्रीयों की जांच/निरीक्षण किये जाने पर पायी गई ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नही की जायेगी।

18. यदि क्रेताधिकारी किन्हीं निविदत्त वस्तुओं की खरीद नही करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है तो निविदा दाता किसी क्षतिपूर्ति क्लेम करने के अधिकृत नहीं होगें।

19. **अमानत राशि (अर्नेस्ट मनी)**

निविदा के समय लागत की 2 प्रतिशत राशि अमानत राशि के रूप में प्रस्तुत की जायेगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा। यह राशि शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में जिला न्यायालय,जैसलमेर के पक्ष में जमा करानी होगी।

20. अमानत राशि का समपहरण :– अमानत राशि को निम्न मामलों में समपहरण कर लिया जायेगा।

1. जब निविदा दाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापिस लेता है या उसमे रूपान्तरण करता है।

2. जब निविदा दाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को यदि कोई हो निष्पादित नही करता है।

3. जब निविदा दाता प्रदायगी के आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नही करता हो।

4. जब वह विहित समय के भीतर सप्लाई आदेश के अनुसार सामग्री प्रदाय आरम्भ करने में असफल रहता हो।

21.(1) **करार एवं प्रतिभूति निक्षेप :–**

1– सफल निविदा दाता को आदेश के प्राप्त होने के 7 दिन की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप में एक करार पत्र निस्पादित करना होगा तथा जिन समानों (स्टोर) के लिए निविदा स्वीकार की गई है उनके निविदा मूल्य का 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति निक्षेप के रूप में जमा करनी होगी।

2– निविदा के समय जमा कराई गई अमानत राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जायेगा।

3– बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में प्राप्त प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

4– अमानत एवं प्रतिभूति निक्षेप के संबंध में निदेशक, उद्योग विभाग राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मो को उन सामानों के संबंध में जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, उनके द्वारा निदेशक उद्योग विभाग से पंजीयन प्रमाण पत्र मूल रूप से या उसकी फोटो स्टेट प्रतियां राजपत्रित अधिकारी से उसकी विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत किये जाने पर एवं नियमानुसार अन्य प्रपत्र प्रस्तुत करने पर अमानत एवं प्रतिभूति राशि के भुगतान से नियमानुसार छूट दी जायेगी।

5– केन्द्र सरकार व राजस्थान सरकार के उपक्रम अमानत एवं प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होगें।

(2) प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जाएगा :–

क– निविदा दाता द्वारा निविदा की शर्तो का उलंघन करने पर

ख– निविदा दाता सम्पूर्ण सप्लाई संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहने पर।

22. **भुगतान :–**

1. राशि का भुगतान दिये गये आदेश के अनुरूप सामग्री पूर्ण एवं सही हालत में प्राप्त होने पर दिया जायेगा।

2. भुगतान निविदा दाता क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुरूप बिल प्रस्तुत करने पर किया जायेगा। तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदा दाता द्वारा वहन किये जायेगें।

3. नियमानुसार देय कर की कटोती भुगतान के समय स्त्रोत पर की जायेगी।

4. निविदा दाता द्वारा अंकित की गई दर में सभी प्रकार के कर एवं व्यय शामिल होगें।

23. परिनिर्धारित क्षति (लिक्विडेटेड डेमेजेस) के साथ सुपुर्दगी अवधि वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन सामानों के मूल्य के लिए की जायेगी, जिनकी निविदा दाता सप्लाई करने में असफल रहा है :–

1. क – विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत

ख – एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि के लिए 5 प्रतिशत

ग – आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की तीन चौथाई अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत

घ – विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक अवधि के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत

2. परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

3. यदि प्रदायकर्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदा अंतर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि कराना चाहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है, किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

4. यदि माल के सप्लाई कार्य करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदा दाताओं के नियंत्रण से परे कारणों से हुई तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि नियमानुसार परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

24. **वसूलियां :–**

परिनिर्धारित नुकसानी, कम प्रदाय, रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिलो में रोकी जायेगी। कम

सप्लाई, रद्द किये गये माल की मात्रा की राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति के साथ वसूली उसकी देय राशि क्लेम्स एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जायेगी।

25. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नही है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदा दाता ने निविदा दी है उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/ सप्लायर से अधिक से अधिक सामान की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

26. निविदा दाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :–

क– यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख **(पार्टनरशिप डीड)** की एक अभिप्रमाणित प्रति।

ख– यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार और फर्मस के पास पंजीकृत हो तो पंजीकरण संख्या एवं उसका वर्ष सहित दस्तावेजो की अभिप्रमाणित प्रति।

ग– कम्पनी के मामले में कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

घ– आयकर स्थायी खाता संख्या **(पेन नंबर)** कार्ड की प्रतिलिपि।

27. यदि संविदा के निर्वचन आशय का व संविदा की शर्तो के उलंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह प्रकरण विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा एवं उसमें अंतिम निर्णय विभागाध्यक्ष का ही होगा। जो निविदा दाता को मान्य होगा।

28. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार द्वारा जैसलमेर न्यायक्षेत्र में स्थित न्यायालय में ही पेश की जायेगी।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैनें/हमनें उपर्युक्त शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ एवं समझ लिया है जो हमें स्वीकार्य है, जिसकी सहमति के रूप में निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

निविदा दाता के हस्ताक्षर मय सील

Financial Bid Document

for Supply and Installation of Computer at SC/ST Court, Jaisalmer

BID Information No. 01 /2019-20

S. No.	Item Name and Specification as per mention in Bid	Qty.	Estimated Cost	Price Quoted per unit including all taxes (In figure and word)	Total Cost
1	Desktop Computer	03	176000		
2	Printer with one extra Cartridge	02			
3	Multi Functional Printer with one extra Cartridge	01			
4	UPS	03			
5	Photocopier	01	74000		
Total			**250000**		

Seal and Signature of Tenderer

Annexure F

S.R. FORM-11

–घोषणा–

See Rule 48 (vii) GF & AR

उपरोक्त समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि जिला एवं सेशन न्यायाधीश जैसलमेर का निर्णय हमारे लिये मान्य होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी फर्म उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है तथा फर्म द्वारा वास्तव में बिड में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन/उपकरण/तकनीकी अनुभव व तकनीकी कर्मचारी आदि उपलब्ध हैं। राज्य सरकार/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वायत्तशासी संस्थान/निगम/बैंक आदि के द्वारा मेरी/हमारी फर्म को ब्लैक लिस्ट नहीं किया है। प्रतीक स्वरूप बिड प्रपत्र में प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर मय सील कर दिये हैं। यदि यह घोषणा असत्य पाई जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर लिया जा सकेगा तथा बिड को, जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है रद्द किया जा सकेगा एवं नियमानुसार अन्य समस्त कार्यवाही भी की जा सकेगी।

दिनांक–

बिडदाता के हस्ताक्षर मय सील
बिडदाता का नाम–
पूर्ण पता–
टेलीफोन नंबर–
(निवास)
(कार्यालय)